

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 152/2019

निर्णय दिनांक :- 20/6/2019

आरती उर्फ मोती पत्नि हीरालाल सालोदिया निवासी शिवाजी कॉलोनी, निवाई।

—वादी—


बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू

—प्रतिवादीगण—

प्रार्थना पत्र पत्थर-गढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत

प्रार्थीया ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का करेडा की काश्तकार खातेदार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 234/1, 235, 236, 241, 242/1 243/1, 372 किता 7 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 करेडा खुर्द तहसील चाकसू में स्थित है जो प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया ने उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी की तलबी की गयी तो अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया किन्तु वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में करवा दिया गया है अब पत्थरगढी करवाना चाहती है। वकील प्रार्थी को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)



अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व आराजी खसरा नम्बर 234/1, 235, 236, 241, 242/1, 243/1, 372 किता 7 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील चाकसू की पत्थर गढी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी एवं पडौसी खातेदारों की उपस्थित में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी भी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(अवरु)

चाकसू